

संकल्प

विषय – विभागान्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पोलिटेकनिक संस्थानों में सहायक प्राध्यापक तथा व्याख्याता के पद पर नियमित नियुक्ति में भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में AMIE धारित योग्यता वाले अभ्यर्थियों को शैक्षणिक पद के सीधी नियुक्ति हेतु बी०ई०/बी०टेक० समतुल्यता की मान्यता देने के संबंध में।

बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली-2014 बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा नियमावली-2014 की प्रवृत्त की तिथि में AMIE की डिग्री को शामिल नहीं किया गया था। विभाग द्वारा सहायक प्राध्यापक/व्याख्याता की नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग को प्रेषित अध्याचना में AMIE की अर्हता को सम्मिलित नहीं किया गया था।

2. आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक/व्याख्याता के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित प्रकाशन में AMIE डिग्री को सम्मिलित नहीं किया गया था।
3. विज्ञापन प्रकाशित होने के उपरान्त अनेक AMIE डिग्रीधारी उम्मीदवारों द्वारा न्यूनतम अर्हता में AMIE डिग्री शामिल करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में उम्मीदवारों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एक समादेश याचिका सी० डब्लू० जे० सी० संख्या-16529/2014 संजय प्रसाद बनाम बिहार राज्य दायर किया गया था।
4. उक्त के आलोक में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा पर्षद, (AICTE) से इस संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन की माँग की गयी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा पर्षद, (AICTE) से प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में दो सदस्यीय विभागीय समिति का गठन करं मतव्य की माँग की गयी।
5. विभागीय समिति द्वारा सहायक प्राध्यापक/व्याख्याता की सीधी नियुक्ति में न्यूनतम अर्हता बी०ई०/बी०टेक० के समतुल्य AMIE डिग्री सम्मिलित किये जाने की अनुशंसा की गयी।
6. उक्त के आलोक में राज्य सरकार द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली-2014 तथा बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा नियमावली-2014 में वर्णित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यथा सहायक प्राध्यापक/व्याख्याता के अर्हता हेतु AMIE (Section- A & B) उत्तीर्ण उम्मीदवार जिनका AMIE में दिनांक-31.05.2013 तक Enrollment with permanent recognition प्राप्त है, को बी०ई०/बी०टेक० उत्तीर्ण की समतुल्यता के रूप में मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

आदेश – आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय एवं सभी संबंधित को भी दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/—

अपर सचिव,

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (I) व²-50/2012- 816 पटना, दिनांक – 1-4-2015

प्रतिलिपि – महालेखाकार बिहार, पटना/अधीक्षक राजकीय मुद्रणायलय गुलजारबाग पटना-7/प्रभारी पदाधिकारी ई-गजट वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ/महामहिम राज्यपाल के सचिव माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सभी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रणा महाविद्यालय/सभी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान/सभी प्राचार्य, राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान/सचिव, राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद, पटना/विभाग के सभी पदाधिकारी/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/विभागीय आई० टी० मैनेजर (अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

गुलजाबाग - 
01/4/15


अपर सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।